International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070, Impact Factor: (RJIF 5.22)
www.socialresearchjournals.com
Volume 2; Issue 2; February 2016; Page No. 60-67

सफाई कामगारों के पुनर्वास का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अध्ययन

डॉ. माधवी शर्मा
डी. बी. (पी. जी.) महाविद्यालय, खेरली, अलवर, राजस्थान, भारत।

प्रस्तावना

हिन्दू समाज को मुख्य रूप से चार वर्णों में विभाजित किया गया है। जिन्हें क्रमषः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य और शूद्र कहा गया है। वैदिक काल में भारतीय समाज व्यवस्था इसी वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। इनमें से शूद्र वर्ण में तीन प्रकार की जातियां सम्मिलित थी। प्रथम वर्ग में वे जातियां थी जिन्हें समाज के अन्य वर्ण के लोग स्पर्ष करते थे, उनके साथ संबंध रखते थे, उनके हाथ का छुआ पानी पीते थे, दूसरे वर्ग मे वे जातियां थी जिन्हें उच्च वर्ग के लोग स्पर्ष तो कर सकते थे, किन्तु इनके हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकते थे। न ही इनके यहां भोजन ग्रहण कर सकते थे।

''ब्राह्मणोऽस्य मुख्यमासीद् बाहू राजन्य कृतः।
उरू तदस्य यद् वैष्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत्।।''

ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट से वैष्य व पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है।

भारतीय समाज में अति प्राचीन काल से विराजमान विविधता व अनेकता ने ऐसे विरोधाभासों व विसंगतियों को जन्म दिया, जो कालांतर में भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन गई। अतः चिंतन, विष्वास व आचार व्यवहार व अन्तर्विरोध भारतीय समाज में सरलतापूर्वक देखे जा सकते हैं। अस्पृष्यता भी इनमें से एक हैं।

अस्पृष्यता का अभिप्राय अछूत है अर्थात् जो छूने योग्य न समझा जाये। इस प्रकार अस्पृष्यों को ऐसे व्यवसाय सौंपे गये जिनका संबंध अपवित्र वस्तुओं के संपर्क से था।

एक और वर्ग शूद्र वर्ग में दिखलाई पड़ता है, इसमें वे जातियां शामिल की जा सकती हैं, जिन्हें उच्च वर्ण के अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य और शूद्र वर्ण के प्रथम एवं द्वितीय वर्ग के लोग न तो स्पर्ष करते हैं, न ही उनके हाथ का छुआ पानी व अन्न ग्रहण करते हैं, इन्हें अस्पृष्य जाति माना जाता है। डॉ. अम्बेडकर ने इन्हें पञ्चम वर्ण कहा है। अस्पृष्य या अछूत जाति वे जातियां हैं जिनके स्पर्ष मात्र से ही अन्य जातियों के लोग स्वयं को अपवित्र महसूस करें तथा जिनसे पवित्र होने के लिए उन्हें कुछ विधि विधान या कर्मकाण्ड का सहारा लेना पड़े। डॉ. के. एन. शर्मा के अनुसार हरिजन या अस्पृष्य वह है जिसके छूने से ही व्यक्ति अपवित्र हो जाता है और फिर उसे पवित्र होने लिए कुछ अनुष्ठान करना पड़ता है।

ये अस्पृष्य या अछूत जातियां अनेक निर्योग्यताओं से पीड़ित रही। हमारा सिर शर्म से तब झुक जाता है जब हम देखते हैं कि तथाकित सवर्ण जाति के लोग स्वयं को इनकी परछाई मात्र से अपवित्र मान लेते हैं तथा दक्षिण भारत के नम्बूदरी ब्राह्मण सामने से आ रहा होता था तो हरिजन अस्पृष्य व्यक्ति को सड़क पर लेट जाना पड़ता था ताकि उसकी परछाई उन पर न पडे अन्यथा वह अपवित्र हो जायेंगे। कई स्थानों पर प्रातः सात बजे से सांय सात बजे तक अर्थात् सूर्योदय से सूर्यास्त तक किसी भी अस्पृष्य का सार्वजनिक मार्ग पर प्रवेष वर्जित था क्योंकि उस समय परछाई लम्बी होती थी। डॉ. डी. एन. मजूदार ने कहा है ''हरिजन या अस्पृष्य जातियां वे हैं जो अनेक प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक निर्योग्यताओं से पीड़ित हैं इनमें से अधिकांष निर्योग्यताओं का परम्पराओं द्वारा निर्धारण सामाजिक रूप से उच्च जातियों द्वारा किया गया है।''

अस्पृष्ता का संबंध शारीरिक अषुद्धता से है जिससे मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को कुछ क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। इसी को डॉ. आर. एन. सक्सेना ने व्यक्त किया है। डॉ. आर. एन. सक्सेना के अनुसार – ''ऐसे लोगों को अस्पृष्य माना जाये किनके छूने मात्र से ही हिन्दुओं को शुद्धि करनी पड़े।''

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने हिन्दू समाज में चार के स्थान पर पांच वर्णों की चर्चा की है। ये पञ्चम वर्ण कौन है इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है कि – ''सवर्ण सामान्यतया अवर्ण का विपरीत है, सवर्ण का मतलब है इन चार वर्णों में से कोई एक। अवर्ण का मतलब है जो कि इन चार वर्णों के अन्तर्गन नहीं आता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य और शूद्र सभी सवर्ण हैं। अस्पृष्य या अतिषूद्र अवर्ण है अर्थात् जिनका कोई वर्ण नहीं है तार्किक दृष्टि से देखें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैष्य एवं शूद्र चार्तुवर्ण्य की परिधि में आते हैं तार्किक दृष्टि से अछूत या अतिषूद्र चातुर्वर्ण्य से बाहर है। ''उन्होंने आगे और स्पष्ट करते हुए लिखा है कि शूद्र तथा अतिषूद्र दोनों ही अद्विज हैं क्योंकि इन्हें पवित्र धागे जनेऊ को पहनने का अधिकार नहीं है, इनका उपनयन संस्कार नहीं होता है। अतः तार्किक दृष्टि से वे दोनों ही अद्विज हैं। त्रयी वर्णिका शूद्रक का विपरीत है परन्तु इस विरोध में कोई खास बात नहीं है सिवाय इसके कि शूद्रों से द्विजों की ज्यादा और अतिषूद्रों की और अधिक दूरी है। त्रयी वर्णिका और शूद्रों में भेद इतना ही है कि जितना द्विजों और अद्विजों में है। संभवतः इसका कारण यह है कि इस अवधारणा की उत्पत्ति एक पृथक वर्ग के रूप में अति शूद्रों की उत्पत्ति से पूर्व हुई थी। अतः शूद्र और अतिषूद्र दोनों अद्विज हैं। डॉ. अम्बेडकर के ही अनुसार ''दलित वर्ग में वे जातियां आती हैं जो अपवित्र कार्य करती हैं, इनमें निम्न श्रेणी के कारीगर जैसे– बुनकर, धोबी, मोची, भंगी तथा बसोर आदि आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सेवक जातियां हैं जैसे चमार, हगारी, सऊरी का काम करने वाले तथा हैला, हवलीवादक आदि को सम्मिलित किया गया है।

मध्यकालीन हिन्दू समाज में अस्पृष्यता से संबद्ध विविध निषेध अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंच गये कुछ अस्पृष्य जातियां इतनी अपवित्र समझी जाने लगीं कि सवर्ण हिन्दू उनके देखने मात्र से अपवित्र होने की भावना रखने लगे। अतः अस्पृष्यता सवर्ण हिन्दुओं के अहं भाव की धारणा बन गई जिसके अन्तर्गत वे स्वयं को अस्पृष्य जातियों से अत्यधिक श्रेष्ठ मानने लगे। वे अपनी श्रेष्ठता के दावे को कायम रखते हुये अस्पृष्य जाति के सदस्यों पर निषेध व निर्योग्यतायें थोपकर उन्हें स्वयं के साथ सामाजिक सहवास से वंचित रखने लगे।

अस्पृष्य जातियों को विभिन्न समय व काल में अनेक प्रकार के नामों से संबोधित किया गया है। अस्पृष्यों के नामकरण के संदर्भ में आरंभ से आज काफी विवाद रहा है।

सामान्यतः अस्पृष्यों के लिये अछूत, दलित, बाहरी जातियां, हरिजन व अनुसूचित जाति आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। लम्बे समय तक इन व्यक्तियों के लिये अछूत शब्द का प्रयोग किया जाता रहा। इनकी आर्थिक स्थिति अतिदयनीय होने के कारण बाद में इनके लिये दलित वर्ग शब्द का प्रयोग किया गया। दलित का अर्थ है जिसे दबाया जाये या जिसे अधिकारों से वंचित रखा जाये।

सन् 1931 की जनगणना के पूर्व अस्पृष्य व्यक्तियों के लिये दलित शब्द का ही प्रयोग किया जाता था। सन् 1931 में जनगणना अधीक्षक ने दलित शब्द की अपेक्षा बाहरी जातियां शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द का प्रयोग इसलिये किया गया क्योंकि इन जातियों का भारतीय समाजिक संरचना में कोई स्थान नहीं था। इनकी सामाजिक प्रस्थिति जातीय संरचना के बाहर थी। पूना एक्ट के समय महात्मा गांधी ने इन अस्पृष्यों के लिये हरिजन शब्द का प्रयोग किया।

अस्पृष्यता के उत्तरदायी कारक प्रजातीय कारक

सर्वश्री रिजले, घुर्ये व मजूमदार का मत है कि अस्पृष्यता की उत्पत्ति हेतु उत्तरदायी एक प्रमुख कारक प्रजातीय भिन्नता है। अतः प्रत्येक प्रजाति स्वयं को श्रेष्ठ मानती है। विषेषकर जब एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को विजित कर लेती है। तब वह स्वयं को उच्च व विजित प्रजाति को निम्न मानती है।

इस संदर्भ में प्रो. घुर्ये का मत समीचीन प्रतीत होता है कि पवित्रता का विचार चाहे, चाहे वह व्यवसाय संबंधी हो या संस्कार संबंधी, जो जाति की उत्पत्ति में कारक माना गया है, अस्पृष्यता के विचार और व्यवहार की आत्मा है।1

सामाजिक कारक

अस्पृष्यता की उत्पत्ति हेतु एक प्रमुख उत्तरदायी कारक सामाजिक है। सामाजिक नियन्त्रण के आंतरिक साधन अर्थात् प्रथाओं, रीति रिवाजों व संस्थाओं का समाज में काफी महत्व होता है। व्यक्ति अपनी प्रथाओं व रूढियों के अनुसार ही कार्य व व्यवहार करता है। जब एक सामाजिक रूढि प्रभावित हो जाती है तो वह काफी लम्बे समय तक प्रभावषाली रहती है। समाज में कुछ धंधों को घृणित व अपवित्र माने जाने लगा तो शनैः शनैः अस्पृष्यता की प्रथा सुदृढ होकर रूढि बन गई।

यथा इन्डो आर्यन प्रजाति भारतवर्ष में विजेता के रूप में आयीं और उन्होंने यहां के विजित मूल निवासियों को स्वयं से हीन समझा, उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा, उन्हें दास, दस्यु आदि नामों से पुकारा। उन्हें समाज में सर्वाधिक निम्न सामाजिक स्थिति प्रदान की, उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखा। इस संदर्भ में डॉ. मजूमदार का मत प्रासंगिक प्रतीत होता है कि तथाकथित दलित जातियों की निर्योग्यतायें सरकार संबंधी नहीं हैं, अपितु इसका आधार संभवतः प्रजातीय व सांस्कृतिक भिन्नतायें हैं। अतः इन भिन्नताओं के कारण पृथकता की धारणा शनैः शनैः इतनी तीव्र हुई कि इन्डो आर्यन प्रजाति ने यहां के मूल निवासियों को स्पर्ष करना भी अनुचित माना और उन्हें अछूत (अस्पृष्य) कहा जाने लगा।2

धार्मिक कारक

अस्पृष्यता की उत्पत्ति हेतु धर्म एक प्रमुख उत्तरदायी कारक है। धर्म में निषेध का अत्यधिक महत्व रहा है। जिन कार्यों को घृणित माना गया व जिनके साथ भय तत्व संबद्ध कर दिया गया, उनको करने वाले स्वाभाविक दृष्टि से अछूत या अस्पृष्य माने गये।

सर्वश्री हट्टन ने निषेध को अस्पृष्यता की उत्पत्ति हेतु एक प्रमुख उत्तरदायी कारक मानते हुये मत दिया कि इसमें बहुत ही कम संदेह है कि अस्पृष्यता के विचार की उत्पत्ति निषेध से हुई है।3

इसी क्रम में धर्म में पवित्रता या शुद्धि को भी काफी महत्व दिया जाता है। सामान्यतः सभी समाजों में यह विष्वास किया जाता है कि धर्म से संबद्ध सभी वस्तुऐं शुद्ध होनी चाहियें। अतः शुद्धता की इसी भावना के कारण घृणित धंधों में संलग्न व्यक्तियों को अस्पृष्य माना गया। साथ ही, जिन व्यक्तियों हेतु 'संस्कारों' का विधान नहीं किया गया, उन्हें अस्पृष्य माना गया।

अस्पृष्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में स्टेनले राइस का मत भी समीचीन है – अस्पृष्य व्यक्ति विजितों के वंषज है। इन्हें दास, अनार्य, द्रविड या मूल निवासी भी कहा गया है। ये व्यक्ति प्रजाति संघर्ष में पराजित हो गये थे, अतः इन्हें दास दस्यु बाद में अस्पृष्य कहकर निम्न श्रेणियों में रखा गया।

भारत में अस्पृष्य जातियों की जनसंख्या 1981 के अनुसार 10.45.74. 6.23 थी जो देष की कुल जनसंख्या की लगभग 15.75 प्रतिषत थी। 1991 की जनसंख्या के अनुसार इसकी जनसंख्या 15 करोड़ से अधिक हो गयी तथाकथित उच्च जातियों के सदस्यों द्वारा इन लोगों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार व सामाजिक निर्योग्यताओं के कारण इन्हें अस्पृष्य कहा जाता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में अस्पृष्यता जाति या कर्म के कारण नहीं शारीरिक अषुद्धि के कारण मानी जाती थी। शारीरिक शुद्धि अषुद्धि का प्रभाव हमारे आचार विचार के साथ–साथ स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। सफाई का काम करके लौटने वाला मेहतर शारीरिक रूप से गन्दा तो हो जाता है अपने शरीर में अनेक रोगाणुओं को भी ले आता है। ऐसी स्थिति में तो बिना नहाये धोये वह स्वयं भी अच्छा महसूस नहीं करता। उच्च वर्णों की कौन कहे उनके जाति बिरादरी के लोग भी उस स्थिति में उसके साथ बैठकर कुछ खाना पसन्द नहीं करेंगे। शारीरिक शुद्धि पर ही मन की शुद्धि निर्भर है, यही अस्पुष्यता की भावना का रहस्य है। कालान्तर में हमने भ्रमवष जाति व वर्ग के आधार पर ही लोगों को अछूत मान लिया, कर्म की भावना भी गौण होकर जातिगत भेद प्रमुख हो गया, स्वयं की कृषि करने वाले जातिगत व्यवसाय से दूर मेहतरों को भी हमने जाति के कारण अछूत माना। अस्पृष्यता की भावना भारत में बहुत प्राचीन है।

अग्रांकित पृष्ठों में अनुसूचित जाति आदि की व्याख्या की गयी है, अस्पृष्यता की उत्पत्ति कैसे हुई ? अस्पृष्यता तथा अषुद्धता अलग–अलग तथ्य हैं। उनके उपरान्त यह जानने की चेष्टा की गयी कि क्या सफाई कामगारों में सिर्फ मेहतर व बाल्मीकि जाति के लोग ही हैं किन्तु यह भी सत्य नहीं है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में लगभग 42 जातियों के लोग सफाई कामगार के रूप में लगे हुये हैं। मैला सफाई का काम करने वाले मानव मल ढोने के निकृष्ट और अमानवीय धन्धे में लगे हुए हैं, नगरपालिका में नियुक्त होकर नालियां साफ करने वाले, सड़क पर झाड़ू लगाने वाले एवं सीवर लाइन की सफाई करने वाले सफाई कर्मियों को सफाई कामगार माना गया है। अतः सफाई कामगार वे हैं जो मैला उठाते हैं, मानव मल साफ करते हैं व ढोते हैं, निजी स्तर पर या सार्वजनिक शौचालयों की सफाई करते हैं, सीवर लाइन साफ करते हैं, नालियां साफ करते हैं या सड़क पर झाड़ू लगाते हैं। इनका कार्य निकृष्ट व अमानवीय स्तर का है जिसे समाज के दूसरे वर्ण के लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं तथा ऐसा कार्य करने वालों के साथ अस्पृष्यता का व्यवहार करते हैं। सफाई कामगार समाज से आषय उस समाज से है जो हमारे समाज का ऐसा अंग है जो सदियों से समाज में निकृष्टतम जीवन जीने के लिए अभिषप्त रहा है। भारत में ये वे अनोखे कामगार हैं जिनका काम मानवीय मल की हाथों द्वारा सफाई और उसे सिर पर रखकर ढोना है, स्वयं सारे जीवन मैला सफाई का काम करे और अपनी पीढ़ी को विरासत में यही काम सौंपकर मरें, यही इनकी शास्त्रोक्त नीति रही हैं ''मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के मल का हाथों द्वारा साफ करने और उसे ढोने वाले समूह को सफाई कामगार कहा जाता है। ''महात्मा गांधी ने इनकी अमानवीय जीवन परिस्थितियों को बदलने तथा इन्हें हीन दषाओं से उबारने के लिए जन चेतना को जगाने तथा अधिक से अधिक लोगों

को इस दिषा में प्रयत्नषील रहने के लिए जीवन पर्यन्त कार्य किया। सफाई कामगारों का इतिहास बहुत प्राचीन हैं, जब से भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है तभी से कार्य विभाजन के दौरान समाज के एक वर्ग को साफ सफाई का कार्य अर्थात् मैला उठाने का कार्य सौंपा गया या वृत्ति के अनुरूप एक वर्ग ने स्वयं यह कार्य कना स्वीकार कर लिया जब से इन लोगों ने मानव मल उठाना प्रारम्भ किया तभी से इन सफाई कामगारों की उत्पत्ति हुई।

मेहतर, बाल्मीकि, डोम आदि कुछ जातियां परम्परागत रूप से मैला सफाई का काम करते हैं। विकासषील समाज में नगरपालिकाओं, निगमों, रेलवे, अस्पताल, शासकीय कार्यालयों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य संस्थानों में सफाई कामगारों की भर्ती के लिए ये एकाधिकारी रहे हैं। अन्य जातियों के प्रत्याषी इन पदों के दावेदार पूर्व में नहीं रहे हैं। यद्यपि आज बढ़ती बेरोजगारी के कारण अन्य भिन्न जातियों के लोग भी सफाई कामगार व्यवसाय में शासकीय तथा अर्धषासकीय नौकरियों में आने लगे हैं। सफाई कामगार के प्रति हमारे समाज में अस्पृष्यता की भावना पायी जाती है, यदि किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति से पूछा जाये कि सफाई कामगार अछूत क्यों है तो उसका सहज उत्तर होगा कि वे अपने गन्दे पेषे, गन्दे रहन–सहन के कारण अछूत हैं अर्थात् अस्पृष्यता का आधार गन्दा धन्धा, मांस भक्षण, मद्यपान, भूत –प्रेत, पूजा, जादू–टोने में विष्वास अनैतिक यौन जीवन आदि है। इस प्रकार सफाई कामगार वर्ग जहां एक ओर समाज को स्वच्छ रखता है वहीं समाज उसे हेय एवं निम्न दृष्टि से देखता है। इनके ऊपर अनेक प्रतिबन्ध लगाता है, उन्हें अछूत कहता है तथा नारकीय जीवन जीने के लिए विवष करता है।

सामाजिक अध्ययनरू–समाज के विभिन्न व्यक्तियों का पारस्परिक सम्बन्ध को शासित करने वाले सामाजिक सम्बन्ध सूत्र अत्यन्त जटिल होते हैं। प्रत्येक मानव समाज अनेक सामाजिक समूहों में विभक्त होता हैं इन समूहों में विभाजित व्यक्तियों के पारस्परिक सामाजिक संबंध सुनिष्चित श्रेणियों में बंटे और परम्पराओं से नियंत्रित होते हैं। प्रत्येक सामाजिक ढांचा अनेक संस्थाओं व समितियों से गुंथा होता है। ऐसी प्रत्येक संस्था या समिति अपने व्यवहार प्रकारों और विचार तथा मनोवृत्तियों के संबंधित संकुलों से आवृत्त रहती है। कुछ संस्थाओं और समितियों की सदस्यता ऐच्छिक होती है तथा शेष की अनिवार्य। विष्व के विभिन्न समाजों की रचना विष्लेषण यह स्पष्ट करता है कि सामाजिक संरचना कतिपय आधारभूत कारकों से निर्मित होती है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हैं – आयु, यौन–भेद, सम्बन्ध, सामाजिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, व्यवसाय तथा ऐच्छिक समितियां। सफाई कामगारों की सामाजिक संरचना के भी यही महत्वपूर्ण पहलू हैं। कार्ल मैलहीम ने लिखा है कि ''सामाजिक संरचना अन्तः क्रियात्मक शक्तियों का जाल है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के अवलोकन एवं विचार करने के प्रतिमानों की उत्पत्ति हुई है। एस. एफ. नैडल ने लिखा है कि ''सामाजिक संरचना भागों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता को प्रकट करती है, जिसे स्थानान्तरणीय माना जा सकता है और जो अपेक्षाकृत अपरिर्वतनीय होती है जबकि स्वयं उसके भाग अपरिवर्तनषील होते हैं।''

भारतीय समाज में न केवल सफाई कामगारों को बल्कि शूद्रों को भी एक ओर षिक्षा संबंधी अधिकार से वंचित रखा गया व दूसरी ओर सार्वजनिक स्थलों यथा चौपालों, मेलों व हाटों में शामिल होकर अपना मनोरंजन करने की आज्ञा प्रदान नहीं की गयी। इस प्रकार अनादिकाल से ही सफाई कामगारों के सामाजिक संपर्क से बचने का हिन्दू समाज में पूर्णतः प्रयत्न किया गया। आष्चर्यजनक तथ्य तो यह है कि स्वयं अस्पृष्यों में भी संतरण की प्रणाली पायी जाती है, वे स्वयं भी तीन सौ से अधिक उच्च व निम्न जातीय समूहों में विभक्त हैं, जिनमें से प्रत्येक का सामाजिक स्तर एक दूसरे से भिन्न हैं ध्यातव्य है कि भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही सफाई कामगारों को सभी प्रकार की सुख–सुविधाओं से वंचित रखा गया और दासों के समान जीवन यापन करने के लिए बाध्य किया गया। उन्हें अछूत, दलित हरिजन आदि कहा गया। अतः वे सैकड़ों वर्षों तक शेष समाज से पृथक रहे हैं, अनेक प्रकार की निर्योग्यताओं से पीड़ित व सामाजिक न्याय से वंचित रहे। प्राचीन काल से ही समाज में सफाई कामगारों को सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से शोषण का षिकार होना पड़ा। एक ओर हिन्दू समाज ने निकृष्टतम कार्य उन्हें सौंपे, घृणित पेषे अपनाने के लिए उन्हें बाध्य किया, मल–मूत्र उठवाने का उनसे कार्य लिया और दूसरी ओर उनकी महती सेवाओं के बदले में उन्हें पारिश्रमिक में शेष झूठा भोजन, फटे पुराने वस्त्र, अन्त्यत्भाज्य वस्तुऐं और धर्म के नाम पर अपने इस सम्पूर्ण व्यवहार को उचित ठहराया। अतः उनको धार्मिकाधार पर इस व्यवस्था को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उन्हें कहा गया कि इस जन्म में अपने कर्त्तव्यों का उचित रीति से पालन नहीं करने वर अगले जन्म में और भी निम्न योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अतः हिन्दू समाज में स्थिति यहां तक पहुंच गयी कि स्वयं सफाई कामगार समुदाय के सदस्य अपने को अपवित्र मानकर सवर्ण व्यक्तियों से बचने का प्रयत्न और आर्थिक अभावों के मध्य स्वयं ही जीवन यापन करने लगे तथा स्वयं को असहाय समझ बैठे।

कालांतर में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देष का एक नवीन संविधान निर्मित हुआ, जिसमें जाति–पाति और ऊंच–नीच का परम्परागत भेदभाव समाप्त कर दिया गया। षिक्षा, आत्पविष्वास, रोजगार सहित सामाजिक जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्रों में स्वतन्त्रता व समानता और धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्तों की स्थापना की गयी। समाज में सफाई कामगार समुदाय की निर्योग्यताऐं कम हुई हैं। यदि एक प्रकार से देखा जाये तो अस्पृष्यता के खिलाफ सक्रिय संग्राम की जीत हो चुकी है, क्योंकि भारतीय समाज के अन्तःकरण ने इसे एक कलंक माना है। अतः आज सफाई कामगार समुदाय के प्रति समाज के नवीन संगठनों व संस्थाओं में व्यवहार का रूप और प्रकार परिवर्तित होने लगा है। आज सफाई कामगार समुदाय पुनर्वास के माध्यम से समाज से जोड़ा जा रहा है।

राजनीतिक अध्ययनः – सफाई कामगारों की प्राचीन समय में व्यवस्था भिन्न प्रकार की थी। परम्परागत रूप से सभी अपने जातिगत पेषे को अपनाते थे तथा जजमानी प्रथा से सम्बद्ध होकर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष परम्परागत समाज में बिल्कुल नहीं था। योग्यता का स्थान नहीं था। मुखिया का चुनाव वंषानुगत रूप से हो जाता था। जाति में जो एक बार मुखिया बन जाता था उसी के परिवार के सदस्य बाद में मुखिया बन जाते थे। पद आयु के अनुरूप समाज द्वारा प्रदान किया था। जातिगत राजनीति का संपूर्ण संचालन जाति प्रमुख या जातीय मुखियों के निर्देषानुसार होता रहता था। आम जन की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यदि कभी वोट डालने की जरूरत पड़ती थी तो जाकर या तो जातिय नेता से या जजमान से पूछ लेते थे और वोट डाल आते थे। वैसे प्रायः वोट डालने जाते ही नहीं थे किंतु वर्तमान में प्रजातन्त्रीय व्यवस्था में वोट का महत्त्व बढ़ा। चुनाव लडने तथा वोट देने का अधिकार सभी को प्रदान किया गया। प्रचार किया गया कि उनका वोट महत्त्वपूर्ण है। अनेक राजनैतिक अधिकार उन्हें देने की बात की गयी। वे भी शासन एवं सरकार में भागीदार बनने को उत्सुक दिखायी देने लगे हैं। अपने वांछित उम्मीदवार को लोकसभा व विधानसभा में पहुंचाने की दृष्टि से वोट के प्रति सजग हुये हैं। आज वे किसी के दवाब में आकर या किसी से पूछकर नहीं अपितु अपनी इच्छा से वोट डालने

लगे हैं। परम्परागत नेतृत्व में परिवर्तन हुआ है उसके स्थान पर नवीन प्रजातन्त्रीय नेतृत्व विकसित हुआ है। नवीन नेता युवा तथा षिक्षित है परम्परागत नेता की तुलना में विवेकषील है।

राजनैतिक जाग्रति तथा संविधान द्वारा प्रदान की गयी सुविधाओं ने उन्हें अपनी प्रतियोगी मांगें प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। उनके द्वारा उठायी जाने वाली अनेक मांगें अभिजात वर्ग एवं सवर्ण जाति के लोगों को पसन्द नहीं आती हैं। वे उन्हें सामाजिक व्यवस्था व संरचना में विघटन उत्पन्न करने वाले तत्व के रूप में देखते हैं। शासन द्वारा इन्हें दी जाने वाली अतिषय सुविधाओं को भी अभिजात वर्ग नकारात्मक रूप से देखता है तथा राजनैतिक दलों के वोट बैंक के रूप में इसका आंकलन करता है। सफाई कामगार राजनैतिक संरक्षण प्राप्त करने हेतु प्रयत्नषील रहते हैं क्योंकि उनमें यह सोच विकसित हो रही है कि राजनैतिक संरक्षण पाकर ही सामाजिक आर्थिक उन्नयन संभव है। इसीलिए दूसरी जातियों की भांति ही सफाई कामगार भी कर्मचारी संघ बनाकर अपने अधिकारों की मांग करने लगे हैं। इनके संघ पंजीकृत हैं। यद्यपि अनुसूचित जातियों में परम्परागत जाति संगठन मेहतर जाति का सर्वाधिक प्राचीन समय से ही था। जजमानी व्यवस्था के अन्तर्गत यदि कोई भी व्यक्ति सफाई कामगार को हटा देता था तो दूसरा कोई भी सफाई कर्मी उसके घर या क्षेत्र में काम करने नहीं जाता था फिर वह चाहे जितना भी भुगतान कर रहा हो। यदि कोई आ जाता था ओर इसका पता चल जाता था तो उस पर जाति पंचायत में मुकदमा चलता था तथा सामूहिक भोज तक का दण्ड़ उसे झेलना पड़ता था और काम भी छोड़ना पड़ता था। यह तथ्य स्पष्ट करता है कि इनका जाति पंचायत संगठन प्राचीन समय से ही सषक्त था। आज भी इतना अवष्य है कि नगरीय समाज में इनके नेताओं ने राजनैतिक दलों से भी सम्बद्धता स्थापित की व अपने इन नेताओं के माध्यम से प्रषासन में भी पहुंचने लगे हैं। सफाईकर्मी अपने जातिय संघ या संगठन के अतिरिक्त अन्य दूसरे संघ या राजनैतिक दल में सम्मिलित होने को पूर्ण स्वतन्त्र हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इनमें अनेकों को सदस्य बनाया है। दूसरी यूनियन (कर्मचारी यूनियन) आदि से भी इनमें से कुछ लोग सम्बद्धता स्थापित करने लगे हैं। संविधान में अनेक उपबन्ध सफाई कर्मचारियों के लिए किए गए हैं। जिससे ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आभार मानते हैं। उन्हें अपना देवपुरूष मानते हैं तथा उसकी वन्दना करते हैं। संविधान में मूलभूत अधिकार प्रदान करके छूआछूत का उन्मूलन करके तथा इन्हें सब जगह प्रवेष का अधिकार देकर इन्हें समाज से जोड़ने का प्रयास किया संविधान में अनेक व्यवस्थाओं के द्वारा अस्पृष्यों की विभिन्न निर्योग्यताओं को समाप्त कर दिया गया है। अर्थात्

1. संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों, कुओं व तालाब, स्नानघाटों, सड़कों व सार्वजनिक स्थलों का उपयोग करने पर लगी सभी रूकावटें दूर की जाए।
2. अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृष्यता का उन्मूलन करके इसका किसी भी रूप में प्रचलन करना निषिद्ध कर दिया गया है।
3. अनुच्छेद 19 के द्वारा अस्पृष्य जातियों को सभी प्रकार के व्यवसाय व धन्धे का अधिकार दिया गया।
4. अनुच्छेद 25 के द्वारा हिन्दुओं के सार्वजनिक धार्मिक स्थलों के द्वार सभी जातियों के लिए खोल देने की व्यवस्था की गयी।
5. अनुच्छेद 29 में कहा गया कि राज्य द्वारा पूर्ण या आंषिक सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी षिक्षण संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म जाति वंष भाषा के आधार पर प्रवेष से वंचित नहीं किया जा सकता।
6. अनुच्छेद 46 के द्वारा राज्य का यह कर्त्तव्य निष्चित किया गया कि वह अनुसूचित जातियों की षिक्षा व आर्थिक हितों में विषेष सावधानी के साथ कार्य करेगा व सामाजिक अन्याय व शोषण से उनकी रक्षा करेगा।
7. अनुच्छेद 146 व 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों के कल्याण व हितों की रक्षा के उद्देष्य से राज्य में सलाहकार परिषदों व पृथक–पृथक विभागों की स्थापना की जाये व केन्द्र में एक विषेष अधिकारी की नियुक्ति की जाये।
8. अनुच्छेद 330, 332 व 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा, राज्य की विधान सभाओं, ग्राम पंचायतों व स्थानीय निकायों में स्थान सुरक्षित करने का प्रावधान रखा गया।
9. अनुच्छेद 335 के अनुसार अनुसूचित जातियों को सरकारी नौकरियों में उनके प्रतिनिधित्व को सुरक्षित कर दिया गया।

इस प्रकार अस्पृष्यता का उन्मूलन हो जाने से इनके स्तर में बदलाव आना शुरू हुआ है। अब सरकार इन्हें मैला उठाने के कार्य से मुक्ति दिलाना चाहती हैं सिर पर मैला उठाने की प्रथा से तो मुक्ति मिल गयी है किन्तु दूसरे धन्धों की ओर अभी इनकी रूचि नहीं बढ़ी है। यद्यपि अनेक योजनाओं के माध्यम से इन्हें दूसरे धन्धों का प्रषिक्षण दिया जा रहा है। सामाजिक असमानता मिटाने की दिषा में यह कदम है। राजनैतिक क्षेत्रों में प्रवेष से इन्हें अनेक तथ्यों की जानकारी हो रही है। इनके नेता इनकी सूचना व संचार के केन्द्र बन रहे हैं। इस प्रकार सफाई कामगारों का एक काफी बड़ा वर्ग वर्तमान राजनीतिक गतिविधियों में विषेष रूचि लेता है। अतएव स्पष्ट है कि समय के साथ–साथ उत्तरोत्तर उनकी राजनीति में रूचि बढ़ती जा रही है। इस प्रकार आज के प्रजातान्त्रिक समाज में उनमें राजनीतिक चेतना का तीव्रता से विकास हो रहा है। कालांतर में राजनीतिक चेतना ही उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने में सहायक सिद्ध होगी।

आर्थिक अध्ययनः – आज के इस प्रौद्योगिकीय युग में जब हम आधुनिकता व उत्तर आधुनिकता की बात करते हैं तब धन या अर्थ एक महत्त्वपूर्ण तत्व बन गया है। भौतिकता से बढ़ते आकर्षण ने व्यक्ति को धन कमाने की अन्धी दौड़ में लगा दिया है।

कार्ल मार्क्स ने अपने ग्रन्थ द पार्टी ऑफ फिलासफी 1935 में उत्पादन प्रणालियां बदलने पर समाज व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन होने की बात कही है। उन्होंने लिखा है कि ''सामाजिक सम्बन्ध उत्पादन शक्तियों से घनिष्ठ रूप से जुडे हुये हैं। नई उत्पादन शक्तियों के प्राप्त करने पर मनुष्य अपनी उत्पादन प्रणाली को भी बदल देते हैं अपनी उत्पादन प्रणाली तथा अपनी जीविकोपार्जन प्रणाली बदलने से अपने सम्पूर्ण सामाजिक संबंधों को बदल देते हैं। जब हाथ की चक्की थी तब सामन्तवादी समाज का, जब भाप से चलने वाली चक्की आयी तो औद्योगिक पूंजीवादी समाज अस्तित्व में आया। इस प्रकार कार्ल मार्क्स उत्पादन की शक्तियों में होने वाले परिवर्तन से समाज व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन की ओर ध्यान इंगित करते हैं। आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव व्यक्ति के सामाजिक संबंधों पर भी पडता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन के संबंधों में परिवर्तन अर्थात् प्राचीन संबंधों के स्थान पर नवीन संबंध सहज ही जन्म नहीं लेते अपितु उनके लिए संघर्ष करना होता है। क्रान्ति करनी होती है। नवीन की स्थापना के लिये पुरानी को उखाड़ फेंकना होता है। और यह काम वर्ग संघर्ष द्वारा होता है। ये समाज व्यवस्था में परिवर्तन के लिए वर्ग को अनिवार्य मानते हैं। वे लिखते हैं कि ''वर्ग नवीन समाज को गर्भ में धारण करने वाली पुरानी समाज की दायी हैं।'' आज हरिजन वर्ग अपने पेषे में परिवर्तन को आतुर हैं, वह सवर्ण जातियों जिन्हें ये हरिजन शोषक जाति मानते हैं, से संघर्ष करने को तत्पर हैं। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की भांति ही भारत में जाति संघर्ष के लक्षण स्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं।

वर्तमान समय में सफाई कामगारों की समस्या सामाजिक नहीं हैं अपितु आर्थिक व राजनैतिक भी हैं। बिहार, उत्तरप्रदेष के अनेक गांवों में जो अमानुषिक घटनायें घटी हैं। जिनमें अनेक हरिजन को मौत के घाट उतार दिया गया। वास्तव में यह सवर्ण तथा अछूतों के बीच का संघर्ष नहीं है। शोषित और शोषकों के बीच का संघर्ष है। जमींदार और भूमिहीन खेतीहर मजदूरों का संघर्ष है। इसमें आर्थिक तथ्य प्रधान हैं। षिव कुमार पाण्डेय लिखते हैं कि ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में जजमानी प्रथा की भूमिका महत्वपूर्ण होने से अधिकतर मेहतर (सफाई कामगार) तथाकथित सवर्ण जातियों पर निर्भर थे। सेवा ही उनका प्रमुख कार्य था। आर्थिक रूप से परावलम्बी होने के कारण हीनता इनके जीवन का अभिन्न अंग बन गई। हरिजन अर्थतंत्र को हम प्रमुखतः दो दृष्टिकोण से विष्लेषित कर सकते हैं। नगरीय हरिजन अर्थतंत्र एवं ग्रामीण हरिजन अर्थतंत्र हरिजनों का एक भाग नगर की सड़कों की ओर, शौचालयों की सफाई में दूसरा अपने परम्परागत व्यवसायों तीसरा मजदूरी में लगा है। सफाई कामगार के रूप में संलग्न वह दूसरों की दया पर निर्भर है। श्रम से कमाया गया पैसा, रोटी बुरी नहीं होती। परन्तु श्रम सम्मानजनक होना चाहिये। उसमें भोजन, वस्त्र व आवास की न्यूनतम आवष्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए किन्तु नगर पालिका तथा सरकारी नौकरी में या प्रतिष्ठित अषासकीय प्रतिष्ठानों में लगे सफाई कामगारों को छोडकर शेष सभी प्रकार का पारिश्रमिक इन्हें दूसरों की दया पर मिल पाता है। लोग इतनी मजदूरी भी नहीं देते जिससे कि इनकी जीविका आसानी से चल सके। केवल मासिक वेतन पर लगे हरिजन सफाई कामगारों को ही भरण–पोषण के योग्य वेतन मिलता है। शेष को उनके श्रम को उचित व नियमित मूल्य नहीं मिल पाता।

वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है जिसमें औद्योगिकरण के द्वारा निम्न वर्गीय लोगों को भी उनका आर्थिक स्तर ऊँचा उठाने के पर्याप्त अवसर हैं शासन की इच्छा भी यही है कि दनका आर्थिक स्तर ऊँचा उठे किन्तु सर्वेक्षण के दौरान देखते में आया कि अधिकांषतः परिवार सफाई के परम्परागत कार्य पर निर्भर नहीं है। कई सफाई कामगार ऐसे भी हैं जिनकी पत्नी को सफाई कामगार के रूप में पालिका में नौकरी नहीं मिल पायी हैं परिणामतः वह नर्सिंग होम में साफ सफाई का कार्य कर रही हैं तथा कॉलोनी के निजी स्तर पर नालियां साफ करना, सडक साफ करना आदि कार्य करती हैं।

वर्तमान समय में सफाई कामगारों के प्रति कुछ व्यक्तियों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन आया है तो कुछ के व्यवहारों में। ये परिवर्तन अनेक कारणों यथा औद्योगिकरण, नगरीकरण, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र विभिन्न जातियों के व्यक्तियों में एक दूसरे के संपर्क में आने के अवसरों के बढ़ने सुधार आन्दोलनों व सरकार और गैर सरकारी प्रयत्नों के संयुक्त प्रभाव के परिणामस्वरूप संभव हो सके हैं। सफाई कामगारों के पुनर्वास कार्यक्रम को सामाजिक संरक्षण देने हेतु सरकार और गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों में इनके कल्याणार्थ विषिष्ट योजनाओं के लिए अनुदान भी स्वीकृत करती है। इसी क्रम में पुनर्वासित सफाई कामगारों के विकास के लिए भी अनेक संगठन कार्य कर रहे हैं।

ये सभी संगठन सफाई कामगारों के पुनर्वास के लिए संघर्षरत है। ये सभी संगठन शासकीय कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सफाई कामगारों को प्रदान करते हैं व सुविधायें उपलब्ध कराने में सहयोग करते हैं। सफाई कामगारों को पारम्परिक धन्धे से हटाने के साथ–साथ उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाना, बेहतर सेवायें, षिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना, उनकी बस्तियों को अधिक स्वच्छ सुविधायुक्त बनाना तथा अच्छे आवास की व्यवस्थायें करना, ये सब तत्व इन्हें न केवल पारम्परिक धन्धे से मुक्त करेंगे बल्कि वे एक सम्मानजनक जीवन बिता सकेंगे तथा समाज के अन्य वर्गों की समता कर सकेंगे। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अनेक योजनायें व कार्यक्रम संचालित करती है इन योजनाओं में आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु भूमि व सिंचाई की उचित व्यवस्था करना, कृषि उपकरण, खाद, बीजों आदि का निःषुल्क वितरण करना, बैल क्रय करने हेतु ऋण देना, स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, मकान व कृषि हेतु निःषुल्क भूमि प्रदान करना, षिक्षा के विकास हेतु छात्रवृत्ति व स्कूल भवनों का निर्माण करना आदि शामिल हैं। मार्च 1992 से लागू सफाई कागमारों का पुनर्वास नामक राष्ट्रीय योजना में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के अलावा सफाई कामगारों को वैकल्पिक रोजगार व प्रषिक्षण उपलब्ध कराने की व्यवस्था है इस हेतु प्रत्येक लाभार्थी को 50000 रूपये तक वित्तीय सहायता दी जाती है। जिसमें 10000 रूपये की पूंजीगत सहायता या लागत या लागत राषि का 50 प्रतिषत मात्र चार प्रतिषत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। अगस्त 1994 में गठित राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यक्षेत्र में सफाई कामगारों को प्राप्त सुविधाओं व अवसरों में व्याप्त असमानता दूर करने हेतु सरकार से सिफारिष करना, उनके पुनर्वास कार्यक्रमों का अध्ययन व मूल्यांकन करना शामिल है। शासन ने मैला सफाई कामगारों को इस घृणित धन्धे से मुक्ति दिलाकर उन्हें नूतन–व्यवसाय आरंभ कराकर प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करने लायक बनाया है। अतएव सभी सफाई कामगार वर्तमान व्यवसाय परिवर्तन कर समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और अपने बच्चों को भी इस नवीन व्यवसाय को अपनाने के लिए उत्तरोत्तर प्रेरित कर रहे हैं।

स्वतन्त्रता के पष्चात् भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से अनुसूचित जाति के सदस्यों को शोषण तथा इन पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए जो प्रावधान सुनिष्चित किये गये थे। उसका प्रभाव इनके विकास पर स्पष्ट दिखाई देने लगो है। इस वर्ग में अपने अधिकारों के प्रति चेतना का तीव्र विकास हुआ है। षिक्षा के प्रति जागरूकता भी शनैः शनैः आने लगी है। शासकीय सेवाओं में आरक्षण नीति का प्रभाव परिलक्षित होने लगा है। मानव सभ्यता की यह सबसे बडी विडम्बना है कि एक मानव दूसरे मानव का मल–पूत्र सिर पर ढोकर चलें। क्या केवल वस्त्र धारण करना ही सभ्यता की निषानी है ? क्या यही इस बात का प्रमाण है कि हम अन्य जीव की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं ? यदि हम अपनी सभ्यता को षिखर पर देखना चाहते हैं तो हमें पुनः विचार करना होगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं ? समाज, राजनीति, धर्म, रूढिवादिता या और कुछ या स्वयं हम ? क्या हम अपने आपको इस जवाबदेही से बचा पाऐंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी रही है कि हम अपनी हार का जिम्मा दूसरों पर और जीत का सेहरा अपने सिर पर बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। पुनर्वासित सफाई कामगारों में षिक्षा का प्रचार–प्रसार अति आवष्यक है जिससे उसमें व्याप्त हीनता की भावना मृतप्राय होगी व वे मद्यपान, द्यूत क्रीड़ा, लड़ाई–झगड़ा आदि दुष्प्रवृत्तियों से मुक्त होंगे। इसके परिणामस्वरूप उनकी आर्थिक उन्नति होगी और आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ेगी।

सफाई कामगार महिलाओं को भी अधिकाधिक संख्या में आत्मनिर्भर बनाने हेतु बीडी बनाने, साबुन बनाने, मोमबत्ती बनाने, कागज के लिफाफे बनाने, जरी व मोती की वस्तुऐं बनाने, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां व खिलौने बनाने आदि का प्रषिक्षण दिया जाये। यह कार्य इन्हें कच्चा माल देकर इनके घर पर ही करवाया जा सकता है। निर्मित उत्पाद खरीद कर खादी ग्रामोद्योग व सहकारिता की दुकानों पर विक्रय किया जा सकता हैं यह ध्यातव्य है कि जो कार्य महिलाओं से कराया जाये उनका भुगतान महिलाओं को ही किया जाये। उसमें से उनके भविष्य के लिए जीवन बीमा व आवर्ती जमा हेतु कुछ राषि काटी जाये, जो बाद में विषम परिस्थितियों में इन्हें

आर्थिक सुरक्षा प्रदान करें। पुरूषों को ड्राइविंग की ट्रेनिंग, गाडी मरम्मत, पैकिंग का कार्य, कम्बल व दरी निर्माण आदि का विषेष प्रषिक्षण दिया जाये। अतः इस कार्य में स्वयंसेवी संस्थाओं आदि का सहयोग भी आवष्यकतानुसार लिया जाये। आरक्षण विरोधी सवर्ण इस बात पर ध्यान नहीं देते कि वास्तविक आरक्षण तो इन्हीं सफाई कामगारों को मिलना चाहिए। सफाई कामगारों के उद्‌गम स्थान जहां भी हों, उनके साथ समाज ने घोर अन्याय किया, अपमानित किया और यहां तक कि अछूत की संज्ञा दे डाली। जबकि सर्वाधिक कल्याणकारी काम करने वाले ये ही थे। यदि वे मैला साफ नहीं करते तो भयंकर बीमारियां फैलती और व्यक्ति काल कवलित हो जाते। वस्तुतः यदि देखा जाये तो समाज के स्वच्छकार तो ये ही सफाई कामगार हैं। अन्ततः जिम्मेदार अभिकरणों की सहभागिता से बड़े पैमाने पर सार्वजनिक स्वच्छता आन्दोलन चलाने की आवष्यकता है। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण और शोषण से मुक्त एक ऐसे मानव समाज का आन्दोलन चलाने के उपक्रम किये इस दौरान जो अनुभव किये हैं उनमें एक कारगर पहल यह है कि इस वंचित वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के अभियान को और अधिक व्यापकता से आगे बढ़ाना होगा। इस समस्या के समाधान की दिषा में हमने सर्वथा उपयुक्त एक टेक्नोलोजी विकसित कर ली है और इसे अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली है अपने देष, दषा के अनुरूप इसके उपयोग के विषय में विष्वभर में वातावरण जाग्रत हो रहा है राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां हो रही हैं। सफाई कामगार समाज के लिए उपयोगी व्यवस्था तक पहुंचाने का अभियान शुरू है। हमें याद रखना होगा कि हमारे सभ्य और समृद्ध समाज के सामने धिक्कारती हुई चुनौती तब तक कायम रहेगी जब तक कि हम उस वर्ग के आखिरी व्यक्ति को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से जोड़ नहीं देते।

शासन द्वारा सिर पर मैला उठाने की प्रथा को पूर्णतः निर्मूलित करने का प्रयास किया जा रहा है। उनकी जीवन दषाओं में सुधार लाने के लिए उन्हें मानव मल उठाने हेतु गाड़ी, दस्ताने, पंजे, जूते व खुरचनी आदि उपकरण प्रदान किये गये हैं किन्तु गांवों में इनसे उनकी जीवन दषाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैला उठाने के कार्य से मुक्त हुए सफाई कामगारों में से अधिकांष नगरपालिका व स्व–व्यवसाय में कार्यरत है इसलिए उन्हें मैला उठाने के कार्य के स्थान पर सड़कों, नालियों, गटर आदि के कार्य से संबद्ध किया गया है। पुनर्वासित सफाई कामगारों में परिवर्तन आना प्रारम्भ हुआ है लेकिन परिवर्तन की गति इतनी अधिक मन्द है कि वह भली भांति दृष्टव्य नहीं हो पा रहा है। बाहरी तौर पर देखने से लगता है कि जैसे इनकी दषा में कोई सुधार नहीं हो पा रहा हो ''विषेषकर ग्रामीण अंचल में अषिक्षा व अंधविष्वास इनमें धीमे परिवर्तन की गति का प्रमुख कारण है। पुनर्वासित सफाई कामगारों में षिक्षा का प्रचार–प्रसार अति आवष्यक है जिससे उनमें व्याप्त हीनता की भावना मृतपाय होगी व ये शराब, जुआ, लड़ाई–झगड़ा आदि दुष्प्रवृत्तियों से मुक्त होंगे। इसके परिणापस्वरूप उनकी आर्थिक उन्नति होगी व आत्मनिर्भरता की भावना और बढ़ेगी।

सफाई कामगारों के प्रति अस्पृष्यता के निवारण के लिए किये जाने वाले प्रयत्नः – प्राचीन व परम्परागत भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व था। वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत मानव समूहों का जिस प्रकार चार वर्णों में विभाजन किया गया उनमें पेषा, पद व प्रतिष्ठा को लेकर श्रेष्ठता व निम्नता अवष्य थी लेकिन अस्पृष्यता की भावना नहीं थी वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति के वर्ण की स्थिति जन्म के द्वारा निष्चित न होकर कर्म के द्वारा निर्धारित व निष्चित होती थी।

भारतीय समाज में जातिगत आधार पर उत्पन्न हुई अस्पृष्यता रूपी विकृति व दोष के निवारण हेतु प्रारम्भ से ही प्रयत्न किये गये हैं, जो निम्नवत हैं –

स्वतन्त्रता पूर्व के प्रयत्न – परतन्त्र भारत में यदि हम अस्पृष्यता मुक्ति आंदोलन की बात करें तो यह सर्वविदित है कि इसका इतिहास अर्वाचीन (बहुत प्राचीन) है। अस्पृष्य जातियों के समाधान हेतु विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधारकों ने समय–समय पर विभिन्न आंदोलनों का सूत्रपात किया।

भारतीय समाज में स्वतन्त्रतापूर्व अस्पृष्य व निम्न जातियों के समाधान हेतु विभिन्न सुधारकों द्वारा किये गये प्रयासों को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है–

1. प्राचीनकाल में किये गये प्रयत्न
2. मध्यकाल में किये गये प्रयत्न
3. आधुनिक काल में किये गये प्रयत्न

प्राचीनकाल में अस्पृष्ता के निवारण हेतु किये गये प्रयत्नः –प्राचीन काल में अस्पृष्यों के उद्धार के लिये किये गये आंदोलन बुद्ध व जैन काल से सम्बद्ध है इस काल में विषेष रूप से महावीर व गौतम बुद्ध दोनों ही महापुरूषों ने जाति के आधार पर भेदभाव का घोर विरोध किया। गौतम बुद्ध ने ब्राह्मणवाद, कर्मकाण्ड, पाखण्ड आदि का घोर विरोध किया। उन्होंने स्वतन्त्रता व समानता की वकालत की व तर्क बुद्धि तथा अनुभव की महत्ता को प्रतिपादित किया।

मध्यकाल में अस्पृष्यता के निवारण हेतु किये गये प्रयत्नः – मध्यकाल में समाज में प्रचलित विभिन्न कुरीतियों व समस्याओं को दूर करने हेतु भक्ति आन्दोलन चलाये गये। इन आन्दोलनों का उद्देष्य जहां एक ओर धार्मिक क्षेत्र के अन्तर्गत आडम्बरों, पाखण्डों व धार्मिक संघर्षों को कम करना व विभिन्न धार्मिक पाखण्डों व धार्मिक संघर्षों को कम करना व विभिन्न धार्मिक समूहों में सौहार्द व समन्वय विकसित करना था। वहीं दूसरी ओर इसका उद्देष्य सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत जातीय आधार पर भेदभाव व अस्पृष्यता जैसे व्यवहार का विरोध करना था। भक्ति आन्दोलन के प्रवर्तकों में मुख्य रूप से रामानन्द, कबीरदास, गुरूनानक, संत रैदास, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, तुकाराम आदि उल्लेखनीय हैं। कबीरदास जी ने जाति संबंधी भेदभाव पर कुठाराघात करते हुए लिखा है कि –

जात पात पूछै नहिं कोई
हरि को भजे सो हरि का होई।

इस प्रकार भक्ति आन्दोलन का विकास धर्म के क्षेत्र में सामाजिक असमानता के विरोध स्वरूप हुआ। इसमें जातिगत या वंषगत आधार पर व्यक्तियों के मध्य ऊंच–नीच के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। इसने कम से कम धर्म के क्षेत्र में जाति जनित सीमाओं से परे व्यक्ति की महत्ता को पुर्नस्थापित किया।

डॉ. अम्बेडकर ने भक्ति आंदोलन के संदर्भ में अपने उदगार इस प्रकार व्यक्त किये–

भक्ति आंदोलन व्यक्तियों में समर्पण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है यह समाज के लिए असहायपन की अफीम है। भक्ति ने दलितों की नसों को कमजोर किया उनमें अधीनता की भावना को विकसित किया।

आधुनिक काल में अस्पृष्यता के निवारण हेतु किये गये प्रयत्न–अस्पृष्यता व अन्य सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध व्यापक जाग्रति 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध में पाष्चात्य षिक्षा व संस्कृति के प्रभाव स्वरूप संभव हुई। पाष्चात्य सभाओं में वैज्ञानिक, औद्योगिक प्रगति, प्रजातांत्रिक विकास व दृष्टिकोण के प्रसाद का भारतीय जनमानस पर अमिट प्रभाव पड़ा। भारत में उपनिवेषीकरण की प्रक्रिया ने पाष्चात्यीकरण को जन्म दिया। अतः पाष्चात्य सामाजिक मूल्य जन्मजात ऊंच–नीच के सामाजिक भेद के स्थान पर स्वतन्त्रता व समानता पर आधारित प्रजातांत्रिक संस्थाओं के पक्ष पोषक थे। सुधार–आंदोलन ने एक ओर पाखण्ड,आडम्बर व

कर्मकाण्ड का विरोध किया व दूसरी ओर इसने जात–पात व अन्य मध्ययुगीन सामाजिक कुरीतियां जो राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाऐं थी के विरूद्ध संघर्ष का आह्वान किया।

आधुनिक युग में सामाजिक आंदोलनों का स्वरूप भले ही धार्मिक रहा हो लेकिन प्रवृत्ति उदारवादी थी। धीरे–धीरे इनके राष्ट्रीय पक्ष उजागर होते गये।

1. राजाराम मोहनराय भारतीय इतिहास की वह कड़ी है जो उसके अतीत को वर्तमान से जोड़ती है। उन्होंने ''ब्रह्म समाज'' की स्थापना की तथा जात–पात व अन्य सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु संघर्ष का आह्वान किया। देवेन्द्र नाथ टैगोर व केषव चन्द्र ने उनके इस कार्य को आगे बढ़ाया।
2. एम. जी. रानाडे के नेतृत्व में प्रार्थना समाज की स्थापना 1897 में हुई। प्रार्थना समाज में अस्पृष्यों के उत्थानार्थ महत्त्वपूर्ण कार्य किया। इस हेतु इसने एक पृथक् मिषन की स्थापना की।
3. दयानन्द सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज ने अस्पृष्यता का विरोध किया व शुद्धि के माध्यम से अस्पृष्यों हेतु जो पूर्व में मुसलमान व ईसाई बन चुके थे, हिन्दू धर्म में लौटाने का द्वारा खोला।
4. स्वामी विवेकानन्द आधुनिक राष्ट्रीय आन्दोलन के आध्यात्मिक जनक कहे जाते हैं। इन्होंने अस्पृष्यता को सामाजिक अभिषाप निरूपित किया व कहा कि अस्पृष्यता का कोई सामाजिक,नैतिक व धार्मिक औचित्य नहीं है। विवेकानन्द ने रामकृष्ण मिषन की स्थापना के माध्यम से देष में सामाजिक व धार्मिक सुधार हेतु उल्लेखनीय कार्य किये।
5. महाराष्ट्र में महात्मा फूले ने 'सत्य शोधक समाज' की स्थापना की उन्होंने अनेक विरोध के बावजूद पूना में अस्पृष्यों हेतु सर्वप्रथम 1843 में विद्यालय की स्थापना की।
6. मैसूर में वोक्कलिंग व लिंगायत संगठित हुए जिनकी देखादेखी अस्पृष्य भी अपनी मुक्ति हेतु एक जुट होने लगे।
7. मद्रास में बी पंतलू व आर वैंकटरमन ने अस्पृष्यों की शोचनीय अवस्था की ओर व्यक्तियों का ध्यान आकृष्ट किया।
8. बीसवीं सदी के आरम्भ में श्री नारायण गुरू स्वामी ने अस्पृष्यों की मुक्ति हेतु एक जाति, एक धर्म, एक ईष्वर के सिद्धान्त पर आधारित हिन्दू धर्म के समानांतर एक नये धर्म जो सामान्यतः उनके नाम से जाना जाता है, की स्थापना की। अतएव केरल की एक भूतपूर्व अस्पृष्य जाति 'झझापा' में श्री नारायण धर्म परिपालना आंदोलन का तीव्रता से प्रसार हुआ।
9. उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन अपने सिद्धान्त व प्रकृति में प्रजातान्त्रिक था उसने जाति पर आधारित असमानता व ऊँच–नीच के भेदभाव के विरूद्धस्वतन्त्रता व सामाजिक समानता का समर्थन किया अतएव बीसवीं सदी के दूसरे दषक तक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधीजी के हाथ में आ गया। अस्पृष्यता उन्मूलन व हरिजन उत्थान को गांधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन का अभिन्न अंग बना दिया।

गांधीजी ने अस्पृष्यता को हिन्दू धर्म पर एक काला धब्बा निरूपित किया

उनका मत था कि ''यदि अस्पृष्यता रहती है तो हिन्दू धर्म मिट जायेगा। हिन्दू धर्म को यदि जीवित रखना है तो अस्पृष्यता को मिटाना होगा। अस्पृष्यता रहे इससे अच्छा है कि हिन्दू धर्म मिट जाये''।

गांधीजी अस्पृष्यों की समस्या शांतिपूर्ण वैधानिक तरीके से हल करना चाहते थे। सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में मंदिरों की भूमिका को वह महत्त्वपूर्ण मानते थे। इसलिए हरिजनों के मंदिर प्रवेष आंदोलन का समर्थन किया''।

गांधीजी ने समाज के सभी वर्गो के सर्वोन्मुखी विकास हेतु सर्वोदय समाज को स्थापित किया हांलाकि अस्पृष्यता की समस्या के समाधानार्थ गांधीजी ने अनेक महत्त्वपूर्ण प्रयास किये लेकिन उन्हे अपेक्षानुकूल सफलता प्राप्त नही हुई।

अस्पृष्यता व अछूतपन की समस्या के अभिषाप को भुगतने वाले जिन व्यक्तियों ने अपनी आवाज बुलंद की व कुछ सार्थक पहल की उनमें डॉ. भीमराव अम्बेडकर का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। डॉ. अम्बेडकर का मत था कि अस्पृष्यता की समस्या मूलतः परम्परागत हिन्दी वैचारिकी से सम्बद्ध है उनका मानना था कि जब तक वर्ण व जाति व्यवस्था का अंत नही कर दिया जाता तब तक अस्पृष्यता की समस्या का अंत संभव नही है। वस्तुतः जाति व्यवस्था को समूल नष्ट् करना कदापि संभव नही है।

अतः केवल एक ही मार्ग है वह है धर्म परिवर्तन। डॉ. अम्बेडकर ने लिखा है कि 'जितनी आवष्यकता देष को स्वतंत्रता व स्वराज्य को पाने की है उतनी ही आवष्यकता दलितों (अस्पृष्यों) को हिनदुओ से मुक्ति पाने की है। ..... यदि तुम संगठित होना चाहते हो, आत्मसम्मान चाहते हो, खुषीहाली चाहते हो तो धर्म परिवर्तन करो।''

1. दलितों (अस्पृष्यों) के हितों को प्रकाष मे लाने के उद्देष्य से अम्बेडकर ने 'मूक नायक' (1920) व बहिष्कृत भारत 1927 पक्षिको के प्रकाषन में सक्रिय सहयोग किया।
2. दलितों (अस्पृष्यों) व पिछडे वर्ग के सामाजिक व शैक्षिक विकास संबंधी कार्य को आगे बढ़ाने के उद्देष्य से 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की।
3. सभी सफाईकामगारों (अस्पृष्यों) को एक मंच पर एकत्रित कारने व उन्हें राष्ट्रीय जीवन में जनसंख्या के एक पृथक तत्व के रूप में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकार दिलाने हेतु संघर्ष जो अम्बेडकर की दृष्टि में दलित (अस्पृष्य) आंदोलन का अभिन्न अंग है। करने हेतु डॉ. अम्बेडकर ऑलइण्डिया षिड्यूल्ड कास्ट फेडरेषन स्थापित किया।
4. दलितों के हितों स सम्मान की रक्षा हेतु अम्बेडकर ने दलित (अस्पृष्य) युवकों का एक ऐच्छिक संगठन समता सैनिक दल (1927) स्थापित किया।

1928 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बंद करके उसके स्थान पर 'डिप्रेस्ड क्लास एज्यूकेषन सोसायटी' स्थापित की। अम्बेडकर ने 28 जून 1946 को मुम्बई में सिद्धार्थ कॉलेज व 1 सितम्बर 1951 को औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज की स्थापना ही डॉ. अम्बेडकर ने दलितों व श्रमिकों को राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित करने के उद्देष्य से 1936 में इण्डिपेन्डेन्ट लेबर पार्टी का गठन किया। अस्पृष्यता की समस्या के समाधान हेतु डॉ. अम्बेडकर द्वारा चलाये गये आंदोलन की दो मुख्य धारायें थीं–

1. सांस्कृतिक दासता से मुक्ति
2. सामाजिक समानता हेतु संघर्ष

वस्तुतः डॉ. अम्बेडकर आरम्भ में हिन्दू समाज में ही इन उद्देष्यों की प्राप्ति की आकांक्षा रखते थे। इसलिए उन्होंने एक ओर अस्पृष्यों को मंदिर में प्रवेष दिलाने व नागरिक अधिकार हेतु संघर्ष किया। दूसरी ओर इस पर बल दिया कि हिन्दू समाज से बुराइयों को बढाने वाले अंषों को हटा दिया जाये उनका मत था कि नवीन धर्मग्रन्थों की रचना से यह कार्य हो सकता है। लेकिन साथ ही उनका यह भी मत था कि वस्तुतः यह कार्य संभव नहीं है। डॉ. अम्बेडकर की शनैः शनैः हिन्दुओं से दूरी बढ़ती गयी उसका मुख्य परिणाम यह निकला कि अम्बेडकर ने अस्पृष्यों (दलितों) हेतु पृथक निर्वाचन की मांग की लेकिन बाद में गांधीजी से समझौता कर उन्होंने दलितों हेतु आरक्षण व विषेष सुविधाओं की व्यवस्था की। 1946 में डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर लिया गया व कानून द्वारा अस्पृष्यता का अंत कर दिया

गया। डॉ. अम्बेडकर का मत था कि अस्पृष्यता की समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक कि अस्पृष्य व्यक्तियों को मानसिक दासता से मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती इस संदर्भ में उनका मानना था कि मानसिक दासता से मुक्ति हेतु धर्म परिवर्तन ही एकमात्र मार्ग है इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया व अस्पृष्यों को भी इस धर्म को स्वीकार करने हेतु अभिप्रेरित किया। उनका मत था कि बौद्ध धर्म ही विष्व में एक मात्र ऐसा धर्म है जो व्यक्ति को चिंतन व व्यवहार की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करता है।

डॉ. अम्बेडकर द्वारा बौद्ध धर्म में परिवर्तन का जो आंदोलन चलाया गया उसका प्रभाव महाराष्ट्र तथा आगरा तक ही सीमित था लेकिन शनैः शनैः इसका प्रसार पंजाब, हिमाचल, उ. प्र., म. प्र. व कर्नाटक आदि प्रांतों के दलितों में हुआ।

साम्यवादी विचारधारा के प्रयत्न – अस्पृष्यता मुक्ति आंदोलन के संदर्भ में साम्यवादी विचारधारा मुख्य रूप से अस्पृष्यों के आर्थिक उद्धार को सर्वोपरि मानती है। इस विचारधारा अनुसार अस्पृष्यों की समस्या की मुख्य जड़ उनकी आर्थिक परतन्त्रता व पराधीनता है। अतः आवष्यकता इस बात की है कि आर्थिक सुविधाओं पर सवर्णों के अधिकार को समाप्त कर आंदोलन के संदर्भ में साम्यवादी विचारधारा के आधार पर एकमात्र महाराष्ट्र का युवा दलित 'पेन्थर' संगठन ही कार्यरत है। इसका भी प्रभाव कोई विषेष महत्त्वपूर्ण नहीं है।

आंदोलनों का स्वरूप (कार्यषैली) – उपर्युक्त सभी आंदोलनों, प्रयासों, स्वरूप या कार्यषैली का प्रष्न है उन्हें प्रमुख रूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है–

संगठनात्मक व सुधारात्मक आंदोलन – इन आंदोलनों की प्रमुख विषेषता अस्पृष्यों की समस्या का समाधान हिन्दु समाज के अन्तर्गत ही खोजता रहा। सुधारवादी विचारकों में स्वामी दयाननद, विवेकानन्द व महात्मा गांधी प्रमुख थे।

पृथकतावादी आंदोलन – इन आंदोलनों के अन्तर्गत विद्वानों के हिन्दु समाज से पृथक होने पर बल दिया इसके तहत् हिन्दुओं से पृथक होकर अपने अधिकारों की मांग करना ही प्रमुख उद्देष्य था। इसके प्रमुख प्रवर्तक डॉ. भीमराव अम्बेडकर थे।

लौकिक आंदोलन – इसके अन्तर्गत अस्पृष्यता की समस्या के निराकरण हेतु आर्थिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन कर इस पर बल दिया कि आर्थिक स्त्रोतों पर संपूर्ण समाज का ही अधिकार हो ताकि विकास के समान अवसर सभी को प्राप्त हो सकें। अतः साम्यवादी विचारधारा इस आंदोलन से संबद्ध थी।

स्वातन्त्रयोत्तर प्रयत्न – शासकीय नीतियों व प्रयत्नों के फलस्वरूप ही अस्पृष्य जातियों की अनेक निर्योग्यताऐं व उनका पिछड़ापन समाप्त होता जा रहा है। स्वतंत्र भारत के संविधान में अस्पृष्यों हेतु विषेष संरक्षण की व्यवस्था की गयी अतः शासन नेअस्पृष्यता की समस्या के निराकरण हेतु तथा अनुसूचित जातियों व पिछडे वर्गों के कल्याणार्थ अनेक प्रयत्न किये गये।

शासकीय प्रयत्न – भारत शासन ने समानता व सामाजिक न्याय पर आधारित देष के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु संविधान की धारा 38 व 39(अ)(ब)(स) के तहत 1950 में योजना आयोग का गठन किया। अस्पृष्यों के उत्थान को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उनके लिए पृथक से आर्थिक संसाधनों व कार्यक्रमों की व्यवस्था की गयी। शासन ने अस्पृष्यों के आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए उनके बच्चों को षिक्षा की ओर आकृष्ट करने के उद्देष्य से विषेष छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया गया है। उच्च व तकनीति षिक्षा में प्रवेष हेतु आरक्षण व रियायतें दी गयी हैं।

अस्पृष्यता निवारण के उपर्युक्त सामाजिक व कानूनी प्रयत्नों के अतिरिक्त भारत सरकार ने आगे वाले वर्षों मे अस्पृष्यता निवारण को अपनी सामाजिक पुनर्निर्माण की नीति में सर्वोच्च स्थान दिया। इस प्रकार आज भारतीय समाज अस्पृष्यता जैसी गंभीर समस्या से काफी हद तक छुटकारा पा सका। वास्तविकता यह है कि भारत के ग्रामीण जीवन में भी आज परम्परागत सामाजिक स्तरीकरण की जड़ें हिल उठी हैं। औद्योगिक नगरों में ग्रामीण द्वारा जीविका उपार्जित करने यात्रा के दौरान स्वतन्त्र रूप से हरिजनों (अस्पृष्यों) के हाथों से पेयजल ग्रहण करने आदि से सफाई कामगारों के प्रति छूआछूत का व्यवहार कम होने लगा है। इक्कीसवीं शताब्दी में अस्पृष्यता को दूर करने हेतु व अस्पृष्यों का कल्याण हेतु अनेक स्वैच्छिक संगठन को पिछड़े वर्ग के कल्याणार्थ विषिष्ट योजनाओं हेतु अनुदान स्वीकृत करती है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. ऋग्वेद
2. मजूमदार डॉ. डी. एन. रेसेस एण्ड कल्चर ऑफ इण्डिया 1958।
3. सक्सेना डॉ. आर. एन. भारतीय समाज तथा सांस्कृतिक संस्थायें।
4. डॉ. काणे पी. बी. धर्मषास्त्र खण्ड द्वितीय भाग –1
5. डॉ. अम्बेडकर बी. आर. हू इज अनटचेबल्स।
6. जे. एच. हट्टन – कास्ट इन इण्डिया।
7. डॉ. डी. एन. मजूमदार – रेसेज एण्ड कल्चर ऑफ इण्डिया।
8. धनंजय कीर और डॉ. अम्बेडकर – लाइफ एण्ड मिषन्स।
9. एम. एन. श्रीनिवास – सोषल स्ट्रक्चर।
10. डॉ. आदि ब्रह्म पुराण अध्ययन।
11. डॉ. हेमचन्द्र राय चौधरी – प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास।
12. 12. घनष्याम गुप्त, भारतीय दर्षन में सामाजिक असमानताओं की धारणा व उसका बदलता स्वरूप।
13. 13. डॉ. एस. आर. श्रीवास्तव, अनुसूचित जातियों के विकास की हरिजन बाहुल्य समूह एवं संक्षिप्त अवधारणा।